


संख्या-13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-220/वि विभागीय अधिसूचना
संख्या-13/नि.वि. (महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-499 नि.वि., दिनांक-19.09.2017
द्वारा महिलाओं के पक्ष में पचास लाख रुपये मूल्य तक के निबंधित विक्रय बिलेखों पर प्रदत्त
मुद्रांक शुल्क से पूर्ण विमुक्ति प्रदान करते हुए मात्र एक रुपये टोकन राशि मुद्रांक शुल्क के
रूप में प्रभार्य करने संबंधित निर्गत अधिसूचना को इस अधिसूचना द्वारा वापस लिया जाता
है।

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(कमल किशोर साँनी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-220/वि

रैली, दिनांक-15/5/2020


प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,
रैली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-220/वि

रैली, दिनांक-15/5/2020


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं हक0) झारखण्ड, डोरण्डा, रैली को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-13/नि.वि.(महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017-220/वि

रैली, दिनांक-15/5/2020

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रैली/माननीय मुख्यमंत्री
के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रैली/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड,
रैली/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रैली/सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड,
रैली/अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त (बै0 दा0 नि0 को0) विभाग, झारखण्ड,
रैली/अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड,
रैली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/सभी अपर समाहर्ता/सभी निबंधन
कार्यालयों के निरीक्षण/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव